



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

वेबसाइट: www.indiaseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान-335702

ईमेल- csf.jetsar@indiaseeds.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963GOI003913)

Website: www.indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Distt: Anupgarh, Rajasthan-335702

E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांक के.रा.फा./जैत/कृषि/10-9/भाग-2(कटाई)/2023-24

दिनांक: 04.03.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-अनूपगढ़(राज.) में रबी 2023-24 के दौरान बिजाई की गई फसलें, जिसमें सरसों 1266.00 एकड़, तोरिया 59.00 एकड़, चना 134.00 एकड़ व मूली 19.50 एकड़ में बोई गई फसलों की कटाई व गहाई से संबंधित सभी कार्यों हेतु फसलवार चक्रवार सीलबंद अल्पकालीन निविदाएँ दिनांक 12-03-2024 को दोपहर 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 12.03.2024 को दोपहर 02:30 बजे खोली जाएगी। इच्छुक योग्य क्रेता/समूह/फर्म आदि निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं। निविदा में भाग लेने के लिए प्रति चक्र प्रति फसल के धरोहर राशि रुपये 5000/- (रु० पांच हजार मात्र) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के खाते (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884) में डिमान्ड-ड्राफ्ट अथवा Online Transfer (NEFT/ RTGS) के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 12.03.2024 को दोपहर 01:00 बजे तक ही किया जायेगा। दिये गये उक्त एरिया को घटाया बढ़ाया जा सकता है। निविदा संबंधी अन्य जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com अथवा किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 236/- (200 Tander fee +18 % GST) का डिमान्ड-ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक खाते में जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक की कॉपी की फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता का पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक अप होना चाहिये।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान् फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

विषय: रबी-23-24 में कटाई/गहाई का कार्य करने बावत।

महोदय,

आपके कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक : के.रा.फा./जैत./कृषि/10-09/2023-24/ दिनांक: 04.03.2024 के संदर्भ में, रबी-23-24 में आपके फार्म पर खड़ी फसल सरसों/तोरिया की कटाई/गहाई व उससे संबंधित कार्यों को करने का इच्छुक हूँ। मैं अपनी प्रस्तावित दरे दे रहा हूँ। दर प्रति एकड़ लूंगा/दूंगा मय नीरा गुणा अथवा केवल निरा-गुणा के आधार पर करुगां/करुंगी। मुझे मेरी प्रस्तावित दरों के अनुसार कार्य आवंटित करने का कष्ट करे। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम-शर्तों के अनुरूप कार्य करुगां/करुंगी।

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा-गुणा/पल्लर लूंगा एवं प्रस्तावित दर रुपये प्रति एकड़ रुपये (अंकों में)	
				पैसा फार्म को दूगाँ, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करुगा।	पैसा फार्म से लूंगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करुगा।
सरसों	1	1 BGD- A	155.00		
		1 BGD-B	130.00		
		3 BGD	393.00		
Total			678.00		
सरसों	3	1-5 MGM	236.00		
		IWM-I	166.00		
		9-10 SAD	186.00		
Total			588.00		
G. Total			1266.00		

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा-गुणा/पल्लर लूंगा एवं प्रस्तावित दर रुपये प्रति एकड़ रुपये	
				पैसा फार्म को दूँगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।	पैसा फार्म से लूंगा, व अपने थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।
तोरिया	2	2 MGM, Pivot, 3 MGM Pivot	15.00		
Total			15.00		
तोरिया	3	1-5 MGM	28.00		
		9-10 SAD	16.00		
Total			44.00		
G. Total			59.00		

नोट:- 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम.....

पूरा पता.....

मोबाइल नम्बर

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्तें
(सरसों व तोरिया के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए ₹0 5000/- (₹0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते में Online Transfer (NEFT/RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884) प्रत्येक चक की निविदा अलग-अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर प्रति एकड़ दो से तीन बड़े-बड़े ढेर/मण्डली लगाना। मण्डली के स्थान की सफाई करके ही मण्डली व्यवस्थित ढंग से लगानी होगी। ठेकेदार को अपने निजी थ्रेसर से अपने मजदूर लगाकर गहाई कार्य कराना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा। एवं कटाई गहाई से संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने होंगे।
3. यदि ठेकेदार फसल के ऐरिया की राशि जमा करने के आधार पर निविदा देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी।
4. यदि ठेकेदार फसल के ऐरिये की राशि जमा करने के आधार पर निविदा देता है एवं निविदा में स्वीकृत धनराशि को नियम व शर्त संख्या 3 के अनुसार जमा करवाने में किसी कारणवश देरी करता है तो अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
5. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख-रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा, एवं जिन मुरब्बों में खरपतवार है वहाँ पर भी चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की दिशा निर्देशानुसार कटाई आवश्यकतानुसार ऊपर से करनी होगी।
6. गहाई (थ्रेसिंग) की गयी फसल का नीरा पूर्णतया दाना रहित होना चाहिए एवं थ्रेसर के आरपीएम भी चक प्रभारी व खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशानुसार रखने होंगे ताकि दाना नीरा गुना में न जाये तथा उसका बकाया पूरा पैसा जमा होने पर एवं मुरब्बा पुरा थ्रेसिंग होने के बाद संतोषजनक कार्य होने पर ही गेट-पास जारी कर नीरा-गुणा ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
7. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था में आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
8. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूड़ी, नीरा, पल्लर को सात दिन में हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूड़ी पल्लर को नष्ट कर दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल/भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है अथवा ठेके के कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा समस्त जमा राशि, धरोहर राशि, अन्य देय राशि व तूड़ी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
11. ठेकेदार को समस्त कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद ही उसकी जमा धरोहर राशि वापस की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
12. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 500/- रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
13. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
14. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे।

यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए

पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान् फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

विषय: रबी-23-24 में कटाई/गहाई का कार्य करने बावत।

महोदय,

आपके कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक : के.रा.फा./जैत./कृषि/10-09/2023-24/ दिनांक: 04.03.2024 के संदर्भ में, रबी-23-24 में आपके फार्म पर खड़ी फसल चना की कटाई/गहाई व उससे संबंधित कार्यों को करने का इच्छुक हूँ। मैं अपनी प्रस्तावित दरे दे रहा हूँ। दर प्रति एकड़ लूंगा/दूंगा मय नीरा गुणा अथवा केवल निरा-गुणा के आधार पर करुगां/करुंगी। मुझे मेरी प्रस्तावित दरों के अनुसार कार्य आवंटित करने का कष्ट करे। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम-शर्तों के अनुरूप कार्य करुगां/करुंगी।

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा-गुणा/पल्लर लूंगा एवं प्रस्तावित दर रुपये प्रति एकड़ रुपये	
				पैसा फार्म को दूगाँ, व फार्म थ्रेसर से थ्रेसिंग करुगा।	पैसा फार्म से लूगा, व फार्म थ्रेसर से थ्रेसिंग करुगा।
चना	2	4 MGM pivot, IWM-II pivot-A, 6 MGM	26.00		
		2,3 MGM Pivot, 3 MGM	27.00		
	Total		53.00		
चना	3	1-5 MGM	31.00		
		IWM-I	50.00		
	Total		81.00		
G. Total			134.00		

नोट:- 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम.....

पूरा पता.....

मोबाइल नम्बर

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्तें
(चना व अन्य फसलों के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए ₹0 5000/- (₹0 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते में Online Transfer (NEFT/RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884) प्रत्येक चक की निविदा अलग-अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था में आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
3. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बड़े-बड़े ढेर/मण्डली लगाना। ढेर/मण्डली के स्थान की सफाई करके ही ढेर/मण्डली लगानी है। ठेकेदार को फार्म द्वारा उपलब्ध कम्बाईन से अपने मजदूर लगाकर गहाई व खलिहान सफाई का कार्य करना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
4. यदि ठेकेदार निविदा प्रति एकड़ राशी जमा कर फसल की कटाई/गहाई कार्य पल्लर/निरागुणा ले जाने के आधार पर दर देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर कार्य आदेश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी। ठेकेदार को अपने स्वयं के पर्याप्त लेबर व थ्रेसर की व्यवस्था समय पर करनी होगी।
5. कटाई व गहाई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने एवं मुरब्बे की पूरी तरह से थ्रेसिंग होने के बाद ही नीरा/पल्लर दाना रहित होने पर ही उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख-रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूड़ी, नीरा, पल्लर सात दिन में हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूड़ी पल्लर को नष्ट कर दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है अथवा ठेकेदार कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा धन राशि, धरोहर राशी एवं अन्य देयराशी व तूड़ी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल /भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 500/- रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत स्वीकृति आदेश जारी कीया जायेगा।
11. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान् फार्म प्रमुख,
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

विषय: रबी-23-24 में कटाई/गहाई का कार्य करने बावत।

महोदय,

आपके कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक : के.रा.फा./जैत./कृषि/10-09/2023-24/ दिनांक: 04.03.2024 के संदर्भ में, रबी-23-24 में आपके फार्म पर खड़ी फसल मूली की कटाई/गहाई व उससे संबंधित कार्यों को करने का इच्छुक हूँ। मैं अपनी प्रस्तावित दरे दे रहा हूँ। दर प्रति एकड़ लूंगा/दूंगा मय नीरा गुणा अथवा केवल निरा-गुणा के आधार पर करुगां/करुंगी। मुझे मेरी प्रस्तावित दरों के अनुसार कार्य आवंटित करने का कष्ट करे। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम-शर्तों के अनुरूप कार्य करुगां/करुंगी।

फसल	खण्ड	चक	क्षेत्रफल एकड़ में	निरा-गुणा/पल्लर लूंगा एवं प्रस्तावित दर रुपये प्रति एकड़ रुपये	
				पैसा फार्म को दूँगा, व फार्म थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।	पैसा फार्म से लूंगा, व फार्म थ्रेसर से थ्रेसिंग करूंगा।
Radish	1	1 BGD-A	2.5		
	2	EPO	5.00		
		EPO NURSURY	2.00		
		3 MGM	2.00		
	3	1-5 MGM	1.00		
		9-10 SAD	7.00		
Total			19.50		

नोट:- 1. उपरोक्त क्षेत्रफल को आवश्यकतानुसार घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम.....

पूरा पता.....

मोबाइल नम्बर

रबी फसलों की कटाई एवं गहाई की नियम व शर्तें
(सब्जी वाली फसलों के लिए)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक चक प्रत्येक फसल के लिए ₹5000/- (₹5000 पांच हजार मात्र) धरोहर राशि का डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला पर देय हो अथवा निगम के खाते में Online Transfer (NEFT/RTGS) द्वारा स्थानान्तरण करवाया जा सकता है। IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884) प्रत्येक चक की निविदा अलग-अलग चकवार व फसलवार करवाई जायेगी।
2. प्रत्येक मुरब्बे में फसल कटाई/गहाई का कार्य फसल के परिपक्व अवस्था में आने पर शीघ्र ही पूरा करना होगा।
3. निविदा सूचना में वर्णित फसलों की हाथ से कटाई करना, कटी फसल को सूखने पर एकत्र कर बड़े-बड़े ढेर/मण्डली लगाना। ढेर/मण्डली के स्थान की सफाई करके ही ढेर/मण्डली लगानी है। ठेकेदार को फार्म द्वारा उपलब्ध कम्बाईन से अपने मजदूर लगाकर गहाई व खलिहान सफाई का कार्य करना होगा व दाना फार्म के साधन में लोड करना होगा।
4. यदि ठेकेदार निविदा प्रति एकड़ राशी जमा कर फसल की कटाई/गहाई कार्य पल्लर/निरागुणा ले जाने के आधार पर दर देता है तो निविदा स्वीकृत होते ही तुरन्त समस्त राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी। 50 प्रतिशत राशि जमा होने पर कार्य आदेश जारी किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के बाद ही नीरा/पल्लर उठाने की अनुमति दी जायेगी। ठेकेदार को अपने स्वयं के पर्याप्त लेबर व थ्रेसर की व्यवस्था समय पर करनी होगी।
5. कटाई व गहाई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने एवं मुरब्बे की पूरी तरह से थ्रेसिंग होने के बाद ही नीरा/पल्लर दाना रहित होने पर ही उठाने की अनुमति दी जायेगी।
6. प्रत्येक चक की फसल की, सम्बंधित चक प्रभारी एवं खण्ड प्रभारी की देख-रेख व दिशा निर्देश के अनुसार ही, कटाई व गहाई का कार्य करना होगा।
7. जिस मुरब्बे में गहाई का कार्य पूरा हो जायेगा, उस मुरब्बे से तूड़ी, नीरा, पल्लर सात दिन में हर हालत में उठाना होगा, अन्यथा खरीफ फसलों की बुवाई के लिए पलेवा समय पर करवाने के लिए नीरा, तूड़ी पल्लर को नष्ट कर दिया जायेगा। जिसके नुकसान की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म की फसलों को या फार्म की सम्पत्ति को अगर नुकसान पहुँचाया जाता है अथवा ठेकेदार कार्य करने में विलम्ब करता है तो उस ठेकेदार का ठेका रद्द कर उसके द्वारा जमा धन राशि, धरोहर राशी एवं अन्य देयराशी व तूड़ी, नीरा पल्लर जब्त लिया जायेगा।
9. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल /भरपाई किया जायेगा। तथा उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
10. यदि ठेकेदार आवंटित कार्य करने में विलम्ब करता है अथवा कार्य नहीं करता है तो उस दशा में फार्म को यह अधिकार होगा कि आवंटित कार्य फार्म की जोखिम एवं लागत पर पूरा करवाएगा जिस पर आने वाला खर्च ठेकेदार से वसूल किया जायेगा। तथा भविष्य में उसका नाम काली सुची में दर्ज कर दिया जायेगा।
11. स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत उसे 500/- रूपए के गैर न्यायिक स्टाम पेपर अनुबंधन हेतु इस कार्यालय को पस्तुत करना होगा। इसके उपरांत स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
12. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई

दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

निविदादाता के हस्ताक्षर